

न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/09/2022

बृजमोहन शर्मा प्लाट न01 सैनिक सुबोध स्कूल के पास वार्ड न03 राधानगर
भरतपुर जिला भरतपुर।

बनाम

उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश


दिनांक 02.03.2022

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है बृजमोहन शर्मा प्लाट न01 सैनिक सुबोध स्कूल के पास वार्ड न03 राधानगर भरतपुर जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 20.12.2021 से उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर से सूचना चाही गई थी। अपीलार्थी उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/56 दिनांक 15.02.2022 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबंध उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर से पत्र क्रमांक पीए/2022/380 दिनांक 02.03.2022 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई बिन्दुओं की सूचनाएँ उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्त ने उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर से सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने व अपील में वर्णित बिन्दुओं के संबंध में सूचना बाबत प्रार्थना की है। उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक पीए/2022/380 दिनांक 02.03.2022 का अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर ने अपने जबाब पेश करते हुये अपीलार्थी को सूचना पत्र क्रमांक पीए/2022/155 दिनांक 28.02.2022 से सूचना उपलब्ध करा दी गई है। अपीलार्थी द्वारा अपनी इससे जाहिर होता है कि रेस्पों. ने अपीलांत को वांछित सूचनाएँ उपलब्ध करा दी हैं।

अस्तु अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर को भी भेजी जावे।


(अलोक रंजन)

जिला कलक्टर, भरतपुर